भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 855
दिनांक 07/12/2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

स्वच्छ जल की उपलब्धता

855. श्री मनोज तिवारी:
डॉ. निशिकांत दुबे:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास ऐसे परिवारों की संख्या के संबंध में कोई आंकड़े हैं जिनके पास स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) प्रत्येक घर को स्वच्छ जल सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;
(घ) दिल्ली में कितने घरों में पेयजल उपलब्ध नहीं है और इसके क्या कारण हैं; और;
(ङ) हर घर जल योजना के अंतर्गत वर्ष 2024-25 तक कितने घरों में नल जल के कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री प्रहलाद सिंह पटेल)

(क) से (ग) और (ङ): पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए, पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और अनुरक्षण करने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके केवल राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है।

भारत सरकार, अगस्त 2019 से राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल का कार्यान्वयन कर रही है ताकि देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कार्यशील घरेलू नल जल कनेक्शन के माध्यम से 55 लीटर अर्थात् प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) के सेवा स्तर पर

निर्धारित गुणवत्ता (बीआईएस:10500) के साथ दीर्घकालिक और नियमित आधार पर पेयजल की व्यवस्था की जा सके।

जल जीवन मिशन की घोषणा के समय, 3.23 करोड़ (16.82%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना मिली थी। अब तक, दिनांक 04.12.2023 की स्थिति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, लगभग 10.48 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन की सुविधा प्रदान की गई है। इस प्रकार, दिनांक 04.12.2023 की स्थिति के अनुसार, देश के 19.24 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 13.72 करोड़ (71.32%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति की सूचना मिली है।

(घ): दिल्ली जल बोर्ड, भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, दिल्ली में परिवारों को लगभग 15,400 कि.मी. पाइपगत नेटवर्क संवितरण तथा 28,16,464 स्वीकृत घरेलू एवं वाणिज्यिक कनेक्शनों के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ-साथ कुछ पानी की कमी वाले क्षेत्रों, 161 अनाधिकृत कॉलोनियों और जेजे कलस्टरों (झुग्गी-झोपड़ी कलस्टरों) में पानी के टैंकरों और सार्वजनिक नलों के माध्यम से सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित किया जा रहा है।

*****

अनुबंध

दिनांक 07/12/2023 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 855 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए ग्रामीण परिवारों का राज्य-वार* ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण परिवारों की कुल संख्या	15.08.2019 तक नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए ग्रामीण परिवारों की संख्या	04.12.2023 तक नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए ग्रामीण परिवारों की संख्या	04.12.2023 की स्थिति के अनुसार नल जल कनेक्शन प्रदान किए जाने वाले ग्रामीण परिवारों की संख्या
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	62,037	28,547	62,037	-
2.	आंध्र प्रदेश	95,53,983	30,74,310	68,76,041	26,77,942
3.	अरुणाचल प्रदेश	2,28,921	22,796	2,19,281	9,640
4.	असम	69,13,345	1,11,311	45,39,353	23,73,992
5.	बिहार	1,66,30,250	3,16,391	1,60,33,673	5,96,577
6.	छत्तीसगढ़	49,96,139	3,19,741	35,07,030	14,89,109
7.	दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव	85,156	-	85,156	-
8.	गोवा	2,63,013	1,99,094	2,63,013	-
9.	गुजरात	91,18,449	65,16,258	91,18,449	-
10.	हरियाणा	30,41,314	17,66,363	30,41,314	-
11.	हिमाचल प्रदेश	17,08,727	7,62,721	17,08,727	-
12.	जम्मू एवं कश्मीर	18,70,335	5,75,466	14,06,163	4,64,172
13.	झारखंड	61,77,629	3,45,165	28,53,037	33,24,592
14.	कर्नाटक	1,01,16,807	24,51,220	71,65,414	29,51,393
15.	केरल	70,78,382	16,64,091	36,59,148	34,19,234
16.	लद्दाख	41,962	1,414	37,390	4,572
17.	लक्षद्वीप	13,370	-	5,816	7,554
18.	मध्य प्रदेश	1,11,85,836	13,53,151	66,09,828	45,76,008
19.	महाराष्ट्र	1,46,73,367	48,43,832	1,20,20,675	26,52,692
20.	मणिपुर	4,51,566	25,920	3,50,434	1,01,132
21.	मेघालय	6,51,529	4,550	4,23,568	2,27,961
22.	मिजोरम	1,33,060	9,201	1,29,626	3,434
23.	नागालैंड	3,69,204	13,882	3,00,455	68,749
24.	ओडिशा	88,63,672	3,10,866	60,43,723	28,19,949
25.	पुदुचेरी	1,14,969	93,506	1,14,969	-
26.	पंजाब	34,25,723	16,78,558	34,25,723	-
27.	राजस्थान	1,06,63,650	11,74,131	47,92,373	58,71,277
28.	सिक्किम	1,31,880	70,345	1,16,631	15,249
29.	तमिलनाडु	1,25,31,520	21,76,071	96,52,241	28,79,279
30.	तेलंगाना	53,98,219	15,68,301	53,98,219	-
31.	त्रिपुरा	7,46,266	24,502	5,41,900	2,04,366
32.	उत्तर प्रदेश	2,63,20,206	5,16,221	1,85,40,133	77,80,073
33.	उत्तराखंड	14,54,221	1,30,325	12,62,296	1,91,925
34.	पश्चिम बंगाल	1,73,98,299	2,14,588	69,31,291	1,04,67,008
	कुल	**19,24,13,006**	**3,23,62,838**	**13,72,35,127**	**5,51,77,879**

[स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस]

चंडीगढ़ और दिल्ली में कोई ग्रामीण परिवार नहीं है।